—: आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के स्थानान्तरण अधिनियम—2017 के अन्तर्गत नजारत अधिष्ठान जिला कार्यालय एवं तहसीलों में कार्यरत/तैनात कार्मिकों (वाहन चालक एंव चतुर्थ श्रेणी कार्मिक/समूह "घ") का स्थानान्तरण दुर्गम क्षेत्रों एवं सुगम क्षेत्रों में स्थानान्तरण नीति की धारा—6 (क) (ख) (ग) व धारा—13 (4) के अनुसार निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख क्रमांक—5 पर अंकित स्थानों में किया जाता है।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनात	स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित स्थान	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	अंजय कुमार रावत	अनुसेवक	तहसील चमोली	तहसील पोखरी	अधिक ठहराव
2	श्रीमती पैंसरादेवी	अनुसेविका	तहसील पोखरी	तहसील चमोली	अधिक ठहराव
3	श्रीमती शीलादेवी	सफाई नायिका	तहसील थराली	तहसील कर्णप्रयाग	अनुरोध के आधार पर

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा, तथा सम्बन्धित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे नव तैनाती स्थान पर तत्काल अपनी तैनाती/योगदान देना सुनिश्चित करें। कमांक—3 पर अंकित श्रीमती शीलादेवी सफाई नायिका को अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण होने से उन्है कोई स्थानान्तरण भत्ता देय नही होगा। सम्बंधित कार्मिको को अपने नव तैनाती स्थान पर योगदान देने से पूर्व किसी प्रकार का कोई अवकाश देय नही होगा।

स्थान :— गोपेश्वर
दिनाँक 25.6.2019

ह0/—
(स्वाति एस0 भदौरिया)
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली।

संख्या—5456/नौ—प्र0ना0(2018—19) दिनाँक गोपेश्वर 25 जून, 2019

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सर्व सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी, चमोली।
3. उप जिलाधिकारी चमोली/पोखरी/थराली/कर्णप्रयाग।
4. तहसीलदार चमोली/पोखरी/थराली/कर्णप्रयाग।
5. उप कोषाधिकारी चमोली/पोखरी/थराली/कर्णप्रयाग।
6. व्यक्तिगत पत्रावली।

अपर जिलाधिकारी,
चमोली।

!! आदेश !!

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के कियान्वयन हेतु जिला स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की बैठक में दिनाँक 17.06.2019 को लिये गये निर्णयानुसार उत्तराखण्ड लोक सेवकों के स्थानन्तरण अधिनियम की धारा 6 (क) एवं धारा 6 (ख) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुक्रम में भूलेख अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत राजस्व उप निरीक्षकों एवं राजस्व अनुसेवकों का स्थानान्तरण नीचे दी गयी तालिका में वर्णित उनके नाम के सम्मुख अकिंत स्थानों में निम्न प्रकार से किया जाता है।

क0 सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का की तहसील	स्थानान्तरित तहसील का नाम	अभ्युक्ति
			राजस्व उप निरीक्षक		
01	श्री मनोज कार्की	राजस्व उप निरीक्षक	तहसील पोखरी	तहसील गैरसैंण	अधिनियम की धारा–6 (ख) के अनुसार दुर्गम से सुगम
02	श्री शान्ति प्रसाद डिमरी	राजस्व उप निरीक्षक	तहसील गैरसैंण	तहसील पोखरी	अधिनियम की धारा–6 (क) के अनुसार सुगम से दुर्गम
			राजस्व अनुसेवक		
01	श्री जीतेन्द्र सिंह	राजस्व सेवक	तहसील आदिबद्री	तहसील पोखरी	अधिनियम की धारा–6 (क) के अनुसार सुगम से दुर्गम
02	श्री हरेन्द्र सिंह रावत	राजस्व सेवक	तहसील नारायणबगड़	तहसील देवाल	अधिनियम की धारा–6 (क) के अनुसार सुगम से दुर्गम
03	श्री गिरिश चन्द्र बरमोला	राजस्व सेवक	तहसील देवाल	तहसील आदिबद्री	अधिनियम की धारा–6 (ख) के अनुसार दुर्गम से सुगम

सर्व सम्बन्धित कार्मिक नव तैनाती के स्थान पर अपनी योगदान सूचना देते हुए अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे, नव तैनाती स्थान पर योगदान देने से पूर्व किसी भी प्रकार का अवकाश आदि देय नहीं होगा। सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार स्थानान्तरित कर्मचारी को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के नई तैनाती की तहसील में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

स्थानः गोपेश्वर,
दिनाँकः जून 2019

ह0/–
(स्वाति एस0 भदौरिया)
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली,

संख्या–5457/सात–21 (2013–2014) दिनाँकः गोपेश्वर 25 जून 2019
प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार पोखरी, गैरसैंण, नारायणबगड़ एवं देवाल।
02– उप कोषाधिकारी पोखरी, गैरसैंण, नारायणबगड़ एवं देवाल।
03– सर्व सम्बन्धित कार्मिक।
04– व्यक्तिगत पत्रावली।

(मोहन सिंह बर्निया)
अपर जिलाधिकारी,
चमोली।